

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Organisation)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

फ़ाइल संख्या: एनएचक्यू-11012/1/2025-नाइलिट(ई-3154030)/395

दिनांक: 19 जून, 2025

परिपत्र

विषय: नाइलिट में समूह 'क' वैज्ञानिकों हेतु आरएफसीएस (संशोधित नम्य पूरक योजना) का कार्यान्वयन विषयक।

कार्या. जा. सं.: 2(11)/2016-पीIII, दिनांक: 19.09.2016 के जरिए एमईआईटीवाई के समूह 'क' वै. एवं तक. संबंधी अधिसूचित कार्मिक नीति के स्थान पर, एबीसी प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने पत्र सं: 5(13)/2025-एबीसीडी, दिनांकित: 17.06.2025 के माध्यम से माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अवगत करा दिया है तथा अध्यक्ष, शासी परिषद ने नाइलिट के आरएफसीएस (संशोधित नम्य पूरक योजना) जो, डीओपीटी द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन सं.: एबी-14017/41/2013-पीपी (आरआर), दिनांकित: 13.03.2024 के जरिए जैसेकि अधिसूचित है, को अपनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजय
19/06/2025
(डॉ. एस.के. धुरंधर)
कुलसचिव

सेवा में,

- (1) सभी कार्यकारी निदेशक/ निदेशक/ प्रभारी निदेशक, समस्त नाइलिट केंद्र
- (2) सभी स्कन्ध प्रमुख, नाइलिट मुख्यालय
- (3) आईटी एवं आईएस स्कन्ध, नाइलिट मुख्यालय- नाइलिट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- (4) गार्ड फ़ाइल/ कार्यालय-आदेश फ़ाइल

कृपया, सूचनार्थ प्रति:

- i. महानिदेशक, नाइलिट के स्टाफ अधिकारी
- ii. मुख्य सतर्कता अधिकारी, नाइलिट